

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

विविध रसद प्रकरण सं. 29/2025

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी-

श्री नरेश शर्मा पुत्र सतीश कुमार, निवासी
सवाउ पदमसिंह, तहरील गिड़ा, जिला
बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 25.02.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 01.10.2025 को श्री भरतसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रुबरु अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूजा इण्डेन ग्रामीण वितरक का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री नरेश शर्मा पुत्र सतीश शर्मा उपस्थित मिले। मौके पर 11 घरेलु गैस सिलेण्डर भरे हुए व 8 घरेलु गैस सिलेण्डर खाली बाहर रोड़ पर खुले पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	080031 S	Indane	29.9	15.7	14.2
2	634485	Indane	29.9	15.7	14.2
3	189142 S	Indane	30	15.8	14.2
4	057618 S	Indane	29.4	15.2	14.2
5	885173 T	Indane	29.6	15.4	14.2
6	569999	Indane	29.9	15.7	14.2
7	482579 P	Indane	29.7	15.5	14.2
8	530389 S	Indane	29.5	15.3	14.2
9	838393 S	Indane	29.7	15.5	14.2
10	444574 S	Indane	30	15.8	14.2
11	2145MB	Indane	29.8	15.6	14.2




जिला कलक्टर
बालोतरा

12	061145 J	Indane		16	
13	776625 E	Indane		16.1	
14	138254	Indane		16	
15	718648 E	Indane		15.6	
16	725627 J	Indane		15.5	
17	0282395	Indane		15.7	
18	111024 S	Indane		15.8	
19	311261 S	Indane		15.3	

- मौके पर उक्त कार्यालय के आगे खुले रोड़ पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के विक्रय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अवैध मानते हुए उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स पूजा इण्डेन ग्रामीण वितरक एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री नरेश पुत्र सतीश कुमार को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर बिना दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी), 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।
- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया।
- अप्रार्थी स्वयं बावजूद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहे।
- हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर के संग्रहण व भण्डारण संबंधित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अवैध रूप से उपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रुबरु सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स पूजा इण्डेन ग्रामीण वितरक एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री नरेश पुत्र सतीश कुमार को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी), " किसी सरकारी तेल कंपनी का कोई वितरक किसी भी घर को सिलेंडर में भरी हुई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस घर का व्यक्ति जिसके नाम पर कनेक्शन जारी किया गया है " 7(1) " उसके पास भरा हुआ या खाली सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाल्व या प्रेशर रेगुलेटर नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह वितरक या उपभोक्ता न हो।" का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।



अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा विक्रय संबंधित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक

जिला कलेक्टर
बालोतरा

प्रार्थना पत्र /29/2025/प्रर्वतन निरीक्षक बनाम सतीश शर्मा

वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी), "द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, जिसके लिए उपभोक्ता किसी सरकारी तेल कंपनी के वितरक के पास पंजीकृत है" व 7(1) "सरकारी तेल कंपनी या समानांतर विपणक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भरे या खाली सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाल्व और प्रेशर रेगुलेटर की आपूर्ति या बिक्री करना" का उल्लंघन में पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।



आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलेक्टर, बालोतरा
बालोतरा

